jktdh; vkS|ksfxd izf'k{k.k laLFkku fB;ksx] ftyk f'keyk] fgekpy izns'k ds fuf/k ys[kkvksa dk vads{k.k ,oa fujh{k.k izfrosnu

vof/k 20-08-2007 ls 31-03-2012

Hkkx&,d

1 ikjfEHkd %&

राजकीय औघोगिक प्रषिक्षण संस्थान ठियोग, जिला षिमला की स्थापना हिमाचल प्रदेष सरकार की अधिसूचना संख्याः EDN(TE)A(1)29/2006, दिनांक 17.08.2007 के अन्तर्गत की गई तथा इस प्रषिक्षण संस्थान में प्रथम सत्र की कक्षाऐं दिंनाक 20.08.2007 से प्रारम्भ की गई।

Hkkx nks

2 orZeku izFke vads{k.k %&

संस्थान के अवधि 20.08.2007 से 31.03.2012 के निधि लेखाओं का वर्तमान प्रथम अंकेक्षण एवं निरीक्षण श्री डी0आर0 चौहान, अनुभाग अधिकारी (लेखा परीक्षा) द्वारा दिनांक 30.04.2012 से 09.05.2012 के दौरान संस्थान के ठियोग स्थित कार्यालय में किया गया। इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण की विस्तृत जाँच हेतु चयनित मासों तक विवरण निम्नानुसार है :–

vof/k	foLr`r vk; dh tk¡p gsrq p;fur ekl	O;; dh foLr`r tk¡p gsrq p;fur ekl
20.08.2007 से 31.03.2008	08 / 2007	11 / 2007
01.04.2008 से 31.03.2009	08 / 2008	09 / 2008
01.04.2009 से 31.03.2010	08 / 2009	04 / 2009
01.04.2010 से 31.03.2011	07 / 2010	08 / 2010
01.04.2011 से 31.03.2012	07 / 2011	03 / 2012

vd{k.k vof/k d nkjku lLFkku e fuEufyf[kr vf/kdkjh vkgj.k ,o lforj.k ikf/kdkjh d :i e dk;jr jg %&

Øekd	vof/k	vkgj.k ,o lforj.k vf/kdkjh dk fooj.k
1	20.08.2007 से 09.01.2008	श्री एम0एल0 शर्मा, प्रधानाचार्य आई0टी0टाई0 षिमला
2	10.01.2008 से 28.10.2010	श्री जगदीष धीमान, वर्ग अनुदेषक
3	29.10.2010 से 10.05.2011	श्री एम0एल0 शर्मा, प्रधानाचार्य आई0टी0आई0 षिमला
4	11.05.2011 से 31.03.2012	श्री कुषल कुमार शर्मा, वर्ग अनुदेषक

ष्यह अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाए गए अभिलेख एवं सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है तथा उक्त संस्थान द्वारा प्रदान की गई किसी सूचना व अभिलेख के गलत उपलब्ध करवाए जाने, अपूर्ण उपलब्ध करवाए जाने अथवा उपलब्ध ही न करवाए जाने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रकार के प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेष का कोई उत्तरदायित्व नहीं है।

3 vd{k.k 'kYd %&

औघोगिक प्रषिक्षण संस्थान ठियोग के अवधि 20.08.2007 से 31.03.2012 के निधि लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹5,400.00 (पांच हज़ार चार सौ) मात्र बनता है जिसके भुगतान हेतु अनुभाग अधिकारी (लेखा परीक्षा) की अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 61, दिनांक 09.05.2012 द्वारा अनुरोध किया गया। इस अंकेक्षण शुल्क की अदायगी संस्थान द्वारा डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या 683880, दिनांक 09.05.2012 द्वारा अंकेक्षण के दौरान ही कर ली गई थी।

4 foÙkh; fLFkfr %&

संस्थान के निधि लेखाओं की अवधि 20.08.2007 से 31.03.2012 की वित्तीय स्थिति यथा परिषिष्ट ''क'' है। संस्थान के पास दिनांक 31.03.2012 को कोई राषि हस्तगत नहीं थी। संस्थान द्वारा सभी निधियों की एकत्रित राषि को एक ही बैंक खाता संख्याः 44410110440 में जमा करवाया जा रहा है तथा निधिवार न तो कोई लेखा जोखा तैयार किया जाता है और न ही निधवार बैंक खाता संचालन किया जाता है। अतः सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में निधिवार बैंक खाते संचालित किए जाने के अतिरिक्त प्रत्येक निधि का पृथक–पृथक लेखा जोखा भी तैयार किया जाए ताकि स्पष्टतयः ज्ञात हो सके कि संस्थान के पास अमूक निधि में अमूक तिथि को कितनी रषि उपलब्ध थी।

5 cpr [kkr e iMh vf/kD; ¼**Surplus**½ jkf'k dk yEch vof/k gr fuo'k u dju d dkj.k C;kt d :i e gkfu %&

हिमाचल प्रदेष राजकीय औघोगिक प्रषिक्षण संस्थान छात्र कल्याण निधि नियम, 2009 के नियम 4(बी) के अनुसार छात्र कल्याण निधि में पड़ी अधिक्य (Surplus) राषि को लम्बी अवधि हेतु निवेष किया जाना अपेक्षित है ताकि लम्बी अवधि हेतु निवेष के परिणामस्वरूप ब्याज का अधिक लाभ प्राप्त हो सके किन्तु औद्योगिक प्रषिक्षण संस्थान ठियोग के प्रकरण में पाया गया कि उक्त प्रषिक्षण संस्थान द्वारा छात्र कल्याण निधि से लम्बी अवधि हेतु कभी भी कोई निवेष नहीं किया गया है जबकि संस्थान के पास दिनांक 31.03.2012 को बचत खाते में ₹3,87,255 जमा पड़ी हुई थी। इस प्रकार अधिक्य (Surplus) राषि को लम्बी अवधि हेतु निवेष न करने के कारण संस्थान को ब्याज के रूप में अधिक आय से वंचित होना पड़ा। अतः इन निवेषों की अवहेलना एवं ब्याज की हुई हानि के सन्दर्भ में अंकेक्षण को वस्तुस्थिति से ठोस कारणों सहित अवगत करवाया जाए तथा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से उक्त अनियमितता को नियमित करवाने के अतिरिक्त भविष्य में अधिक्य (Surplus) राषि का लम्बी अवधि हेतु निवेष सुनिष्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6 Nk=k l ikIr ₹18]760 dh ifof"V;k Qhl lxg.k jftLVj e u djuk %&

संस्थान के जुलाई, 2010 के फीस संग्रहण रजिस्टर व रोकड़ बही के मिलान करने पर पाया गया कि संस्थान द्वारा निम्न विवरणानुसार विभिन्न छात्र/छात्राओं से प्राप्त निधियों की राषियों की प्रविष्टियाँ फीस संग्रहण रजिस्टर में नहीं की गई हैं जबकि इन राषियों का लेखांकन सीधे रोकड़ बही के पृष्ठ–43 पर किया गया है :–

Øekd	jlhn l[;k o fnukd	Nk=@Nk=k dk uke	ikIr jkf'k
1	125, दिनांक 14.07.2010	सोनु	2,680.00
2	126, दिनांक 16.07.2010	अर्चना पुत्री श्री दुर्गा दत्त	2,680.00
3	127, दिनांक 16.07.2010	अर्चना पुत्री श्री राम लाल	2,680.00
4	128, दिनांक 17.07.2010	निषा पुत्री श्री प्रकाष चन्द	2,680.00
5	129, दिनांक 17.07.2010	निषा पुत्री श्री नारायण सिंह	2,680.00
6	130, दिनांक 18.07.2010	सुलक्षणा	2,680.00

7	131, दिनांक 18.07.2010	नीलम	2,680.00
		d|y jkf'k	₹18]760-00

लेखांकन के नियमानुसार प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त राषियों के एवज़ में रसीदें जारी करके सर्व प्रथम इन की प्रविष्टियाँ फीस संग्रहण रजिस्टर तथा तदोपरान्त रोकड़ बही में की जानी अपेक्षित थी। चूंकि उपरोक्त प्रकरणेां में फीस संग्रहण रजिस्टर में प्रविष्टियाँ नहीं की गई है। अतः प्रक्रिया में विमुखता के सन्दर्भ में अंकेक्षण को अवगत करवाने के अतिरिक्त भविष्य में जारी रसीदों की प्रविष्टियाँ फीस संग्रहण रजिस्टर में व तदोपरान्त रोकड़ बही में की जानी सुनिष्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7 Nk= dY;k.k fuf/k l: ₹510-00 dk vukf/kd`r 0;; %&

संस्थान की माह 02/2009 की रोकड़ की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त रोकड़ बही के पृष्ठ 24 पर की गई प्रविष्टि के अनुसार ₹510.00 का भुगतान बिजली के बिल की अदायगी हेतु दिनांक 20.02. 2009 को किया गया। इस भुगतान से सम्बन्धित बिल के अवलोकन पर पाया गया कि यह भुगतान संस्थान के बिजली मीटर खाता संख्या JDN-17 के बिल के सन्दर्भ में हिमाचल प्रदेष राज्य विद्युत परिषद को किया गया है। यह भुगतान छात्र कल्याण निधि पर उचित प्रभार नहीं है। अतः इस राषि की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से सुनिष्चित करते हुए ₹510.00 छात्र कल्याण निधि में जमा करवाई जानी सुनिष्चित करने के साथ–साथ भविष्य में ऐसे प्रकरणों की पुनरावृति न दोहराई जानी भी सुनिष्चित की जाए।

8 i:frHkkfr jftLVj dk mfpr j[k&j[kko u gkuk %&

संस्थान के अवधि 20.08.2007 से 31.03.2012 के प्रतिभूति रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि इस रजिस्टर में प्रविष्टियाँ मात्र छात्रों को प्रतिभूति राषि वापिस लौटाने पर ही की गई है। नियामनुसार छात्रों से प्रतिभूति की राषि प्राप्त करते समय प्रविष्टियाँ प्रतिभूति रजिस्टर में छात्रवार की जानी अपेक्षित थी तथा बाद में प्रतिभूति राषि लौटाते समय भी वापिस की राषि की प्रविष्टियाँ प्रतिभूति रजिस्टर में की जानी अपेक्षित थी ताकि यह स्पष्ट हो सके कि किस छात्र/छात्रा से कब–कब तथा कितनी–कितनी राषि प्राप्त हुई तथा किस छात्र/छात्रा को कब–कब तथा कितनी–कितनी प्रतिभूति की राषि लौटाई गई और उनको कितनी–कितनी प्रतिभूति की राषि वापिस लौटाई जानी शेष है। अतः प्रतिभूति राषि रजिस्टर का रख–रखाव उपरोक्तानुसार किया जाना सुनिष्चित करते हुए अनुपालना अंकेक्षण को दर्षाई जाए।

9 jlhn cqdks dk LVkWd jftLVj dk j[k&j[kko u djuk %&

संस्थान के लेखों व अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि संस्थान द्वारा छात्रों से निधियों एवं आय की प्राप्ति हेतु जारी की गई रसीदों के लिए रसीद बुकों के स्टॉक रजिस्टर का रख–रखाव नहीं किया जा रहा है। अतः अपेक्षित रजिस्टर का रख–रखाव जिसमें रसीद बुकों की प्राप्ति का स्त्रोत एवं प्रमात्रा (रसीद बुकों के क्रमांक सहित) दर्ज करने के अतिरिक्त रसीद बुकों के जारी करने की प्रमात्रा (प्राप्त कर्त्ता का नाम व हस्ताक्षर इत्यादि रसीद बुकों के क्रमांक सहित) दर्ज करने के अतिरिक्त संस्थान के पास शेष उपलब्ध रसीद बुकों की प्रमात्रा (रसीद बुक क्रमांक सहित) दर्ज की जाए व सक्षम प्राधिकारी से सत्यापित करवाई जानी सुनिष्चित की जाए।

10 Nk=@Nk=kvk l s ikIr jkf’k;k dk vukf/kd`r :i l s gLrxr j[kuk %&

औद्योगिक प्रषिक्षण संस्थान ठियोग की रोकड़ बही व बैंक खाते के मिलान करने पर पाया गया कि विभिन्न छात्र/छात्राओं से प्राप्त कल्याण निधि की राषियों को नियमानुसार प्राप्ति वाले दिन अथवा आगामी कार्य दिवसों में बैंक में जमा करवाने की बजाए अनाधिकृत रूप से हस्तगत रखा गया जैसा कि अभिलेख के आधार पर तैयार निम्न विवरण से भी स्पष्ट हो जाता है :–

Øekd	frfFk ftl fnu jkf’k gLrxr Fkh	gLrxr jkf’k	jkdM cgh i"B	jkf’k dk cSd e tek djokus dh frfFk
1	07.10.2008	511.00	17	18.11.2008
2	05.11.2008	1,571.00	19	18.11.2008
3	07.11.2008	3,884.00	19–20	18.11.2008
4	12.08.2010	3,660.00	44	08.09.2010
5	13.08.2010	19,050.00	45	08.09.2010
6	17.08.2010	50,500.00	45	08.09.2010
7	18.08.2010	57,110.00	45	08.09.2010
8	25.08.2010	62,470.00	46	08.09.2010
9	30.08.2010	65,150.00	46	08.09.2010

10	31.08.2010	67,830.00	46	08.09.2010
11	01.09.2010	64,080.00	46	08.09.2010
12	07.09.2010	64,080.00	46	08.09.2010

ukV %& उपरोकत तालिका में क्रम संख्याः 10 में दर्षाई गई हस्तगत ₹67,830.00 में से दिनांक 01.09.2010 को ₹3,750.00 का भुगतान श्री प्रेम सिंह चौकीदार को माह अगस्त, 2010 की मज़दूरी (Wages) के रूप में करने के कारण दिनांक 01.09.2010 को हस्तगत ₹64,080.00 रह गई।

उपरोक्त तालिका से यह स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि दिनांक 07.10.2008 से 07.11.2008 के दौरान प्राप्त ₹3,884.00 को दिनांक 18.11.2008 को तथा दिनांक 12.08.2010 से दिनांक 07.09.2010 के दौरान प्राप्त ₹64,080.00 को दिनांक 08.09.2010 को बैंक में जमा करवाया गया है। ऐसी परिस्थितियों में संस्था को ब्याज के रूप में हुई हानि से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः अनियमितताओं के इन प्रकरणों में अंकेक्षण को ठोस कारणों से अवगत करवाने के अतिरिक्त इन अनियमितताओं हेतु उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए ब्याज की हानि की भरपाई सम्बन्धित कर्मचारी से सुनर्षिचित की जाए व अनुपालना अंकेक्षण को दर्षाई जाए।

10 LVkd jftLVj dk mfpr j[k&j[kko u gkuk %&

संस्थान के छात्र कल्याण निधि से सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर के अवलोकन से प्रतीत होता है कि स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टियाँ मदवार न करके क्रयवार ही की गई हैं जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि संस्थान के पास अमूक मद की कितनी प्रमात्रा शेष है। उदाहरणार्थ स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ 102 पर 1 No. Volley Ball, 1 No. Basket Ball, 1 No. Foot Pump and 1 No. Volley Ball net की क्रय प्रविष्टियाँ तथा पृष्ठ 106 पर Knee Caps and Cycling Shorts की क्रय प्रविष्टियाँ की गई हैं जबकि नियमानुसार स्टॉक प्रविष्टियाँ सामान क्रय के साथ–साथ सामान जारी करते हुए करने के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु की उपलब्ध शेष प्रमात्रा भी साथ–साथ दर्षाई जानी अपेक्षित थी ताकि यह ज्ञात हो सके कि संस्थान के पास एक विषिष्ट तिथि को किस वस्तु की कितनी प्रमात्रा उपलब्ध थी। अतः परामर्ष दिया जाता है स्टॉक रजिस्टर का रख–रखाव नियमानुसार किया जाना व सक्षम प्राधिकारी से स्टॉक प्रविष्टियाँ अधिप्रमाणित करवाई जानी सुनिष्चित करके अनुपालना अंकेक्षण को दर्षाई जाए।

11 Yk/k vkifÙk foojf.kdk %&श्सभी लघु आपत्तियों का निष्पादन अंकेक्षण स्थल पर ही किए जाने के कारण लधु आपत्ति विवरणिका जारी नहीं की गई।

12 fu"d"k ¼& लेखों में सुधार व निकट पर्यवेक्षण की आवश्यकता है।

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष, षिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(xi)(i)253 / 12, दिनांक, षिमला–171009

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

(1) प्रधान सचिव, तकनीकी षिक्षा हिमाचल प्रदेष सरकार षिमला–2

(2) निदेषक, तकनीकी षिक्षा, व्यवसायिक एवं औधोगिक प्रषिक्षण संस्थान सुन्दरनगर, जिला मण्डी हिमाचल प्रदेष

ij.thd`r ¼& (3) प्रधानाचार्य, राजकीय औधोगिक प्रषिक्षण संस्थान ठियोग, जिला षिमला हिमाचल प्रदेष को इस आषय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्षाई गई आपत्तियों के सटिप्पण उत्तर इस विभाग को प्रतिवेदन जारी होने के एक माह के भीतर प्रेषित करें।

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष, षिमला–171009.

¼vuqi dqekj ?kk:½